रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. सं. ....413/22 दिनांक ....18/10/2022............
2. (अ) अधिनियम –भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018..)धारायें...7, पी.सी एक्ट ....
   (ब) अधिनियम ....धारायें..
   (स) अधिनियम ....धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......323...... समय..........7:30 PM.
   (ब) अपराध घटने का दिन –दिनांक –सोमवार /17.10.2022/समय. 05.05 पी0एम0.......................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 17.10.2022/11.10 ए0एम0..
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर पश्चिम दूरी लगभग 05 कि0मी0 ....
   (ब) पता–कोष कार्यालय अलवर व सागर के बीच खाली ग्राउण्ड अलवर......बीट सख्या ...
   जरायमदेहीसं..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना........... जिला................................
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री राकेश कुमार मीना
   (ब) पति का नाम .... श्री शिवलहरी मीना ....
   (स) जन्म तिथि /26 वर्ष ....
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय...... कृषि ....
   (ल) पता–गांव सेहरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

   श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री सियाराम शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 40 साल निवासी ए–32 साहब जोहडा शक्ति नगर विजय मंदिर रोड पंजाब नेशनल बैंक के पास अलवर पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर हाल वरिष्ठ सहायक (न्याय शाखा) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर।
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही...
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....1800/–रूपये रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..................
    ....1800/–रूपये रिश्वत राशि ....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी– अलवर–II, विषयः–रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बावत्,, महोदय, निवेदन है कि मेरा बडा भाई महेश कुमार मीना S/O शिवलहरी मीना जिनका चयन पिछले दिनों Army में (CMD) ड्राईवर के पद पर हो गया था। जिसमें पुलिस वेरीफिकेशन हो चुकी है, पुलिस वेरीफिकेशन के बाद यह रिपोर्ट कलक्टर साहब के कार्यालय में न्याय शाखा में चली जाती है वहां से Army को जायेगी। न्याय शाखा में कार्यरत बाबु श्री अजय कुमार शर्मा सम्बन्धित रिपोर्ट को आगे भेजने हेतु मुझसे 2000 रूपये रिश्वत मांग कर रहा है, मै ऐसे भ्रष्ट कर्मी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मै इसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड वाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है तथा मेरा कोई लेन–देन भी नहीं है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी हस्ताक्षर–राकेश कुमार मीना S/o शिवलहरी मीना निवासी सेहरा तह. लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राजस्थान) मो0 नं.–9680842911 हस्ता. परमेश्वर लाल Dysp 17.10.22, ह0 स्वतंत्र गवाह साहिल गुर्जर व हितेश कुमार दिनांक 17.10.2022,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 17.10.2022 को समय 11.10 ए0एम0. पर परिवादी श्री राकेश कुमार मीना पुत्र श्री शिवलहरी मीना जाति मीना उम्र 26 वर्ष निवासी गांव सेहरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर द्वितीय अलवर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उक्त लिखित रिपोर्ट पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी– अलवर–ाा के पदनाम से संबोधित की हुई मुझे पेश की। जिस पर मैने परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर कार्यवाही करते हुये सर्वप्रथम लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का पढा लिखा होकर उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया तथा मजीद दरियाफ्त पर बताया कि– मेरा बडा भाई महेश कुमार मीना पुत्र श्री शिवलहरी मीना जिनका चयन पिछले दिनों आर्मी में सीएमडी ड्राईवर के पद पर हो गया था। जिसमें पुलिस वेरीफिकेशन हो चुकी है, पुलिस वेरीफिकेशन के बाद यह रिपोर्ट कलक्टर साहब अलवर के कार्यालय में न्याय शाखा में चली जाती है वहां से आर्मी को जायेगी। जिसके संबंध में मै न्याय शाखा में कार्यरत बाबू श्री अजय कुमार शर्मा से मिला और अपने भाई महेश कुमार मीना की वेरीफिकेशन सम्बन्धित रिपोर्ट को आगे भेजने हेतु कहा तो वह मुझसे उक्त कार्य के बदले में 2000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है, मै ऐसे भ्रष्ट कर्मी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मै इसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है तथा मेरा कोई लेन–देन भी नहीं है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा एवं अपने भाई महेश कुमार मीना की सहमति अनुसार नाजायज तौर पर राजकार्य को करने में रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर ऐड्रेस प्रूफ बाबत अपने स्वयं के आधार कार्ड की एवं अपने भाई महेश कुमार मीना के आर्मी में सीएमडी ड्राईवर के पद पर सलैक्शन/चरित्र वेरीफिकेशन संबंधी पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिन्हें शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर उसी रोज समय 12.10 पीएम. पर परिवादी श्री राकेश कुमार मीना को आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा बाबू न्याय शाखा कार्यालय जिला कलक्टर अलवर से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु परिवादी की सहमति उपरान्त श्री अजय कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 36 से कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर निकलवाकर उसमें नया सैल, एवं 32 जीबी एसडी कार्ड डालकर चालू कर सभी फोल्डर खाली होना सुनिश्चित कर टेप रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग काला 32 जीबी एसडी कार्ड डले हुये सहित चालू एवं बन्द करने का तरीका परिवादी व रामजीत सिंह कानि0 को बताया जाकर श्री रामजीत सिंह कानि0 को जरिये फर्द समय 12.30 पीएम पर सुपुर्द कर श्री रामजीत सिंह कानि0 को परिवादी के हमराह परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार उसके बताये हुये गन्तव्य स्थान कलैक्ट्रेट परिसर अलवर जाकर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी अजय कुमार शर्मा बाबू के पास भेजकर उसके द्वारा की जा रही रिश्वत राशि की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर श्री रामजीत सिंह कानि0 को परिवादी श्री राकेश कुमार मीना के हमराह जरिये सरकारी मोटरसाईकिल वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन कार्यालय से समय करीब 01.00 पीएम पर रवाना कलैक्ट्रेट अलवर किया गया, जो उसी रोज समय 02.15 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आये एवं परिवादी ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मै व श्री रामजीत सिंह कानि0 दोनो आपके कार्यालय अलवर से आपके कार्यालय की मोटर साईकिल से रवाना होकर कलैक्ट्रेट परिसर अलवर पहुंचे जहां पर रामजीत सिंह कानि0 ने मोटर साईकिल को कलैक्ट्रेट परिसर में पहले से खडे हुये अन्य वाहनों के पास खडा कर एकान्त स्थान पर अपने पास से टेप रिकार्डर निकालकर चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं मेरा नाम एवं टेप प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दे दिया जो मैने अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिया और फिर मै आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा बाबू के पास कार्यालय जिला कलक्टर अलवर की न्याय शाखा के अन्दर चला गया तथा रामजीत सिंह कानि0 बाहर ही खडा रहा, मुझे न्याय शाखा के अन्दर बाबू अजय कुमार जी मौजूद मिले जिनसे मैने अपने भाई महेश कुमार मीना की वैरीफिकेशन रिपोर्ट को आर्मी में भिजवाने के सबंध में बातचीत की तो अजय कुमार शर्मा बाबूजी ने मुझसे पहले 2000/–रूपये मांगे तथा मेरे निवेदन करने पर वह 1800/–रूपये लेने पर सहमत हो गये एवं राशि लेकर आज ही बुलाया है, मैने उनकी सारी बातों को टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और न्याय शाखा से बाहर आया और कलैक्ट्रेट परिसर में खडे हुये रामजीत सिंह कानि0 के पास आकर एकान्त स्थान पर अपने पास से टेप रिकार्डर निकालकर चालू हालत में रामजीत कानि0 को दे दिया जिसे रामजीत सिंह कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया उसके बाद मैने अजय कुमार बाबू से हुई

सारी बातें रामजीत सिंह कानि0 को बता दी। उसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर वापस आये है। पूछने पर रामजीत सिंह कानि0 ने परिवादी के कथनों की ताईद की। इस पर श्री रामजीत सिंह कानि. से विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर चालू कर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को ईयरफोन की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से आरोपी अजय कुमार शर्मा बाबू न्याय शाखा कार्यालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा परिवादी से उसके भाई महेश कुमार मीना की वेरीफिकेशन रिपोर्ट को आर्मी में भेजने की एबज में 1800/– रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं परिवादी को रिश्वत राशि लेकर आज ही बुलाया जाना स्पष्टतः प्रमाणित पाया गया है। वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे में कार्यालय की आलमारी में रखा गया, तथा परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 1800/–रू0 का इन्तजाम कर साथ लेकर आने हेतु कहा गया तो परिवादी ने रिश्वत राशि साथ में लेकर आना बताया जिस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय 02.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर के नाम पृथक से तहरीर जारी कर श्री महेश कुमार कानि0 चालक सं. 374 को जरिये सरकारी वाहन टवेरा गाडी से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर रवाना किया गया तथा स्टाफ की कमी के कारण श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अलवर प्रथम को वास्ते इमदाद जाप्ता मय वाहन सरकारी के ब्यूरो कार्यालय अलवर II पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। इसके बाद समय 03.00 पीएम पर श्री महेश कुमार कानि0 चालक नम्बर 374 रवाना शुदा कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर से अपने साथ दो कार्मिक तलब कर उपस्थित कार्यालय आया, एवं दोनो कार्मिको को मन पुलिस उप अधीक्षक से मिलाया जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने उक्त दोनो कार्मिकों से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने अपना नाम क्रमशः साहिल गुर्जर कनिष्ठ सहायक जिला परिषद अलवर व हितेश कुमार कनिष्ठ सहायक जिला परिषद अलवर होना बताया, जिस पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री राकेश कुमार मीना को अपने कक्ष में बुलाकर सर्वप्रथम दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री राकेश कुमार मीना से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा बाबू न्याय शाखा कार्यालय जिला कलक्टर अलवर के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 17.10.2022 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में गवाहान द्वारा परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने–अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री राकेश कुमार मीना के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे की कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री राकेश कुमार मीना व आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा बाबू के मध्य दिनांक 17.10.2022 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेविल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा बाबू द्वारा परिवादी से 1800/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होने संबंधी वार्ताओं का रिकार्ड होना पाया गया, समय के अभाव में उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रासक्रिप्ट व डीवीडी ट्रेप कार्यवाही उपरान्त तैयार किया जाना उचित समझा। इसके बाद समय 03.25 पीएमः–पर ब्यूरो ईकाई अलवर प्रथम अलवर से हस्व तलब शुदा श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, मय जाप्ता श्री हरीश चन्द कानि0, 503, श्री महेश कुमार कानि0 462 के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय चालक धर्मवीर सिंह के उपस्थित कार्यालय आया जाप्ता का कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय 03.30 पीएमः–पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री साहिल गुर्जर व श्री हितेश कुमार के सामने मन् पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री शिवलहरी मीणा जाति मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी गांव सेहरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर को आरोपी श्री अजय कुमार बाबू को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 03 नोट एवं 100–100 रू. के 03 नोट कुल 1800/–रूपये (अट्ठारह सौ रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण फर्द पेश्कशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से एक साफ अखवार टेविल पर बिछवाकर उस अखवार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर 1800/–रूपये के नम्बरी नोटो पर भली–भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री साहिल गुर्जर से लिवाई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन, के

अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 1800/–रूपये के नोट परिवादी के बदन पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी साईड की पीछे वाली जेब में रखवाये गये तत्पश्चात परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा–पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोटों को प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपने चेहरे को दोनो हाथों से पोंछकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल अथवा मैसेज कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री रामजीत सिंह कानि0 206 से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराकर ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री हितेश कुमार से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगुठें सहित डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतत्र गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिकिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय में रखी आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को बाहर नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील कटोरों, गिलासों, चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी एवं अजयकुमार मु0 आ0, श्री रामजीत सिंह कानि0 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो स्वतंत्र गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा को रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी वॉईस रिकार्डर मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 04.05 पीएमः–पर परिवादी श्री राकेश कुमार मीना से उसके भाई महेश कुमार मीना के मोबाईल फोन नम्बर 9782608780 पर प्राप्त कर उक्त मोबाईल फोन पर मन पुलिस अधीक्षक द्वारा महेश कुमार मीना से परिवादी राकेश कुमार मीना द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की सत्यता बाबत वार्ता की गई तो महेश कुमार मीना द्वारा अपने भाई राकेश कुमार मीना द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की ताईद करते हुये अपनी सहमति जताई गई। तत्पश्चात समय 04.20 पीएमः–पर कार्यालय स्टाफ के हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया जाकर एवं परिवादी को बताये गये रिश्वती स्वीकृति ईशारे के बारे में बताया जाकर परिवादी श्री राकेश कुमार मीना को कानि0 श्री रामजीत सिंह नम्बर 206 के हमराह जरिये सरकारी मोटरसाईकिल आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, श्री महेश कुमार कानि0 462, श्री हरीश चन्द कानि0 503, एवं स्वतंत्र गवाह श्री हितेश कुमार कनिष्ठ सहायक को जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय कानि0/चालक धर्मवीर सिंह के बाद हिदायत रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल मय स्वतंत्र गवाह श्री साहिल गुर्जर कनिष्ठ सहायक व स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 36, को मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री सहित जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय कानि0/चालक महेश कुमार नम्बर 374 के लेकर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय से रवाना परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार कलैक्ट्रेट परिसर अलवर रवाना हुआ कार्यालय में नोटो पर पाउडर लगाने वाले धर्मवीर गुर्जर

वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। समय 04.35 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ सदस्यों के न्यायालय परिसर अलवर पहुंचा एवं वाहनों को न्यायालय परिसर में पहले से खडे हुये अन्य वाहनों के पास खडा करवाया जाकर वाहनों में कानि0 चालकगण श्री महेश कुमार व धर्मवीर सिंह को बाद हिदायत छोडा जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री साहिल गुर्जर व हितेश कुमार एवं स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार हैड कानि0 36, श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, श्री हरीश चन्द कानि0 503, श्री महेश कुमार कानि0 462 को हमराह लेकर न्यायालय परिसर से सीढियों से होकर कलैक्ट्रेट परिसर अलवर के प्रवेश द्वार पर पहुचा जहां पूर्व से रवाना शुदा रामजीत सिंह कानि0 मय परिवादी राकेश कुमार मीना के उपस्थित मिला, तत्पश्चात परिवादी श्री राकेश कुमार मीना को उसके सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर को जरिये कानि0 रामजीत चालू कराकर आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा बाबू के पास न्याय शाखा कार्यालय जिला कलक्टर अलवर के लिये पैदल–पैदल लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे पीछे श्री रामजीत सिंह कानि0 206, श्री अजय कुमार हैड कानि0 नम्बर 36 व श्री हरीश कुमार कानि0 एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 एवं श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 को बाद हिदायत पैदल पैदल रवाना किया गया तथा उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री साहिल गुर्जर व हितेश कुमार को लेकर पैदल पैदल रवाना हुआ तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व पार्टी सदस्यों के कार्यालय जिला कलक्टर अलवर स्थित न्याय शाखा के बाहर कलैक्ट्रेट परिसर में पहुचकर मुकीम हुआ, जहां से परिवादी राकेश कुमार मीना न्याय शाखा के अन्दर प्रेवश करता दिखाई दिया, जिस पर मन पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित कलैक्ट्रेट परिसर अलवर में ईधर उधर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहा । कुछ समय के बाद परिवादी श्री राकेश कुमार मीना न्याय शाखा से बिना ईशारा किये बाहर आकर खडा हो गया और कुछ समय के बाद वापस न्याय शाखा के अन्दर चला गया और थोडी देर के बाद बिना ईशारा किये न्याय शाखा से बाहर आकर खडा हो गया और अपने मोबईल फोन को कान से लगाकर किसी से वार्ता करने लगा, कुछ समय के बाद एक व्यक्ति बुलट मोटर साईकिल नम्बर आरजे–02 बीडी 2461 बरंग सलेटी व काला पर बैठकर कलक्ट्रेट परिसर अलवर के अन्दर आया जिसे देखकर परिवादी उस व्यक्ति के पास गया तो उस व्यक्ति ने परिवादी को कलैक्ट्रेट परिसर के प्रवेश द्वार की ओर चलने का ईशारा किया और मोटर साईकिल स्टार्ट कर उस पर बैठकर प्रवेश द्वार के पास मोटरसाईकिल को रोक कर पैदल पैदल बाहर की तरफ जाते हुये परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर धीरे धीरे कोष कार्यालय अलवर की तरफ रवाना हो गया, जिसके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान एवं स्टाफ सदस्यों को लेकर एक एक दो दो करके तेज तेज कदमों से चलते हुये एवं दोडकर कोष कार्यालय अलवर के पास पहुंचे तो वहीं व्यक्ति एवं परिवादी कोष कार्यालय अलवर व सागर के बीच में खाली पडे ग्राउण्ड पर मोटरसाईकिल सहित खडे होकर आपस में बातचीत करते हुये दिखाई दिये जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयानों के कोष कार्यालय अलवर के पास एवं ग्राउण्ड के ईधर उधर एक एक दो दो करके परिवादी के ईशारे के इन्तजार में खडे हो गये, कुछ समय के बाद परिवादी ने अपने पास से रूपये निकालकर बुलट मोटरसाईकिल पर बैठे हुये व्यक्ति को दिये तो उस व्यक्ति ने रूपये अपने बांये हाथ में ले लिये, और आपस में बातचीत करने लगे, इसी बीच स्वतंत्र गवाहान के सामने समय 05.05 पी. एम. पर परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री शिवलहरी मीणा जाति मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी गांव सेहरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने कार्यालय जिला कोषागार अलवर व सागर के बीच खाली पडे हुये ग्राउण्ड पर बुलट मोटरसाईकिल नम्बर आरजे–02 BD-2461 वरंग सलेटी व काला पर बैठे हुये व्यक्ति के पास से खडे–खडे अपने चेहरे को दोनो हाथों से पोछते हुये ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही उक्त मोटरसाईकिल पर बैठे हुये व्यक्ति एवं उसके पास खडे हुये परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा के पास तेज–तेज कदमों से रवाना होकर बुलट मोटरसाईकिल पर खडे हुये व्यक्ति व उसके पास खडे हुये परिवादी के पास पहुंचा तो बुलट मोटर साईकिल पर बैठे हुये व्यक्ति ने मन पुलिस उप अधीक्षक एवं ट्रैप पार्टी सदस्यो को देखकर अपने बांये हाथ में परिवादी से लेकर रखी हुई रिश्वत राशि को जमीन पर फेंक दिया और मोटरसाईकिल स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगा जिसे जाप्ता के सहयोग से रोककर मोटरसाईकिल से उतार कर एक तरफ खडा किया और परिवादी से सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात परिवादी ने बुलट मोटरसाईकिल से उतार कर खडे किये हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही अजय कुमार शर्मा बाबूजी है जिन्होंने मुझसे अभी अभी मेरे भाई महेश कुमार मीणा की वैरीफिकेशन रिपोर्ट सम्बन्धित को भिजवाने की एबज में 1800/–रूपये रिश्वत में मांगकर अपनी बुलट मोटरसाईकिल पर बैठे–बैठे हुये अपने बांये हाथ की दो अंगुलियों से लेकर रख लिये और आपको आता देखकर उक्त राशि को अपने हाथ से जमीन पर फैक दिया है जो अभी भी जमीन पर पडे हुये है जो गवाहान व पार्टी सदस्यों ने देखा। इस पर सामने वाले व्यक्ति को मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व

हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम अजय कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री सियाराम शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 40 साल निवासी ए–32 साहब जोहडा शक्ति नगर विजय मंदिर रोड पंजाब नेशनल बैंक के पास अलवर पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर हाल वरिष्ठ सहायक (न्याय शाखा) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर होना बताया, जिससे परिवादी से प्राप्त की गई 1800/–रू. की रिश्वत राशि को प्राप्त करने एवं जमीन पर फैकने का कारण पूछा तो आरोपी अजय कुमार शर्मा ने घबराते हुये बताया कि मैने इस राकेश कुमार मीणा से कोई रिश्वत नहीं मांगी और नांही प्राप्त की, मेरे मना करने के बाद भी यह मुझे जबरदस्ती से पैसे देने लगा तो मैने अपने बांये हाथ से आप लोगो को अपनी तरफ आता देखकर झटक दिये जो जमीन पर गिर पडे, जो अभी भी पडे हुये है। मैने कोई रिश्वत नहीं मांगी और न ही ली है, इसके भाई महेश कुमार मीणा की पुलिस वैरीफिकेशन रिपोर्ट कार्यालय स्तर से सम्बन्धित विभाग को भेजी जानी शेष है। यह राकेश कुमार मीणा आज से पहले मुझसे अपने भाई महेश कुमार मीणा की वेरीफिकेशन रिपोर्ट के संबंध में नहीं मिला था। इस राकेश कुमार मीणा ने मुझे इस रिश्वत मामले में झूठा एवं जबरदस्ती फसाया है मै निर्दोष हूं। इसके बाद आरोपी अजय कुमार वरिष्ठ सहायक द्वारा लिये गये बचाव के सम्बध में उपस्थित परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि– मेरा बडा भाई महेश कुमार मीना पुत्र श्री शिवलहरी मीना जिनका चयन पिछले दिनो आर्मी में सीएमडी ड्राईवर के पद पर हो गया था। जिसमें पुलिस वेरीफिकेशन हो चुकी थी, पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट कलक्टर साहब अलवर कार्यालय की न्याय शाखा में गई जहां से आर्मी को जाती, किन्तु न्याय शाखा द्वारा रिपोर्ट नहीं भिजवाई जिस पर न्याय शाखा में जाकर इन अजय कुमार बाबूजी से मिला और वेरीफिकेशन रिपोर्ट को आगे भिजवाने को कहा तो इन बाबूजी ने रिपोर्ट को आर्मी में भिजवाने हेतु मुझसे 2000/–रूपये रिश्वत में मांगे मैने काफी हाथ जोडे किन्तु इन्होने मेरी कोई बात नहीं सुनी और अपनी बात पर अडे रहे और 2000/–रूपये लिये बिना मेरा काम नहीं किया तो मैने परेशान होकर आज दिनांक 17.10.2022 को इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने के लिए आपके विभाग में आपके पास अलवर जाकर लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर आपने आज दिनांक 17.10.2022 को मुझे अपने कर्मचारी रामजीत सिंह के साथ रिश्वत मॉग सत्यापन के लिए इनके पास भेजा था तो इन्होने मेरे भाई महेश कुमार मीना की वेरीफिकेश रिपोर्ट को आर्मी में भिजवाने लिये पहले 2000/–रूपये एवं मेरे निवेदन करने पर 1800/–रू. रिश्वत की मॉग की थी उसी मॉग के अनुसरण में इनके पास इनके कार्यालय में आया तो ये अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले तो मैने इनके कार्यालय के कर्मचारियों से इनके बारे में पूछा तो उन्होने इनका खाना खाने जाना बताया तो मैने इनके कार्यालय के कर्मचारियों से इनके मोबाईल नम्बर–8233488188 लेकर अपने मोबाईल से इनका उक्त मोबाईल नम्बर मिलाकर इनसे वार्ता की तो इन्होने थोडी देर में आने की कहा और कुछ समय के बाद ये अपनी बुलट मोटर साईकिल से कलक्ट्रेट परिसर अलवर में आये तथा मुझे मेन गेट तक ईशारा कर बुलाया और वहां से मुझे अपनी मोटरसाईकिल पर पीछे बैठाकर कोष कार्यालय अलवर व सागर के बीच में खाली पडी हुई जगह पर ले आये और वहां पर मोटरसाईकिल को रोककर मोटरसाईकिल पर बैठे–बैठे हुये इन्होने मुझसे 1800/–रूपये रिश्वत में मांग कर अपने बांये हाथ की दो अंगुलियों से पकडकर ले लिये, इस पर मैने आपको बताया हुआ ईशारा कर दिया जिस पर आप अपनी टीम सहित हमारे पास आ गये तो इन बाबूजी ने आप लोगो को आता देखकर हाथ में लिये हुये 1800/–रूपये जमीन पर फैंक दिये जो अभी भी जमीन पर पडे हुये है। मेरे द्वारा 1800/–रूपये की रिश्वत राशि जबरदस्ती नहीं बल्कि इन बाबूजी की मांग अनुसार इन्हें दी गई है, और इन बाबजी के पास मेरे भाई महेश कुमार मीना की वेरिफिकेशन संबंधी रिपोर्ट आर्मी को भिजवाई जानी बाकी है। इसके बाद एक बार पुनः आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक से पूछताछ की गई तो उसने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई। इसके बाद सरकारी गाडी बोलेरो में पानी से भरी हुई रखी दो बडी प्लास्टिक की बोतलों को कानि. चालक श्री धर्मवीर के जरिये मंगाया गया तथा श्री अजय कुमार हैड कानि0 से सरकारी गाडी टवेरा में रखे हुये ट्रेप बोक्स को मंगवाया जाकर ट्रेप बौक्स से दो स्टील के कटोरा निकलवाकर उन्हें गवाह श्री हितेश कुमार से साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गवाह से प्लास्टिक की पानी से भी हुई बोतल में से साफ दोनो कटोरों में पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री हितेश कुमार से ट्रेप बौक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनो स्टील के कटोरों में भरे हुये पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो स्टील के कटोंरो के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद एक स्टील के कटोरा के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गदमैला हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर चिट व कपडे पर ग्रवाहान,

परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे स्टील के कटोरे के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गदमैला हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से रिश्वत में लेकर पार्टी को देखकर जमीन के उपर फैंके हुये 500–500, 100–100 रूपये के रिश्वती नोटों को जमीन के उपर से गवाह श्री साहिल गुर्जर से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 03 नोट एवं 100–100 रूपये के 03 नोट कुल 1800/–रूपये मिले जिन्हे उक्त गवाह श्री साहिल गुर्जर के पास ही सुरक्षित रखवाया जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी अजय कुमार शर्मा से परिवादी के भाई महेश कुमार मीणा के वैरीफिकेशन से सम्बन्धित कागजात के बारे में पूछा गया तो उसने उक्त कागजात अपने कार्यालय में होना बताया, उक्त घटना स्थल पर बैठकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु उपयुक्त स्थान नही होने एवं मौके पर काफी भीड एकत्रित होकर कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किये जाने के कारण मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान एवं आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को एवं बजह सबूत को मय ट्रेप बौक्स के हमराह साथ लाये हुये दो सरकारी वाहनों से एवं आरोपी की बुलट मोटरसाईकिल को जरिये नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 हमराह साथ लेकर कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट अलवर परिसर पहुंचा एवं आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को जाप्ता के हमराह मय गवाहान के लेकर न्याय शाखा में पहुंचा जहां पर आरोपी अजय कुमार शर्मा ने न्याय शाखा में से अपनी सीट के उपर पैड में बंधे रखे कागजातों में से परिवादी के भाई महेश कुमार मीणा के वैरीफिकेशन संबंधी दो पत्र Officer Commanding 749 (I) Tpt PL ASC (Civil GT) Pin Code 905749 C/o 56 APO के नाम लिखे होकर सलंग्न मूल चरित्र सत्यापन पंजिका, कृते जिला मजिस्ट्रेट अलवर के हस्ताक्षर युक्त बिना डिस्पेच किये हुये निकालकर पेश किये जिन्हें अकब से जरिये फर्द जप्ति जप्त किये जाने हेतु गवाह श्री हितेश कुमार को दिलवाकर सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात न्याय शाखा प्रभारी श्री उमादत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी कलैक्ट्रेट अलवर को परिवादी के भाई महेश कुमार मीणा के वैरीफिकेशन सम्बन्धित अन्य न्याय शाखा के रिकार्ड को लेकर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय में आने हेतु पाबन्द कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान एवं आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को एवं बजह सबूत को मय ट्रेप बौक्स हमराह लाये हुये दो सरकारी वाहनों एवं आरोपी की बुलट मोटरसाईकिल को जरिये नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 हमराह साथ लेकर रवाना होकर समय 06.20 पीएम पर वापस ब्यूरो ईकाई अलवर द्वितीय अलवर आया जहां पर आरोपी को कार्यालय कक्ष में बैठाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा से प्राप्त की गई 1800/–रूपये की रिश्वत राशि जो पार्टी को अपनी तरफ आता देखकर जमीन पर फैकी गई जिसे जमीन पर पडी हुई को गवाह श्री साहिल गुर्जर से उठवाकर गिनवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाया गया था, उक्त राशि को उक्त गवाह श्री साहिल गुर्जर से पुनः गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 03 नोट एवं 100–100 रूपये के 3 नोट कुल 1800/–रूपये (अट्ठारह सौ रूपये) होना गवाह द्वारा बताया। उक्त बरामद शुदा 1800/–रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त बरामद शुदा 1800/–रूपये के रिश्वत नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा नम्बरी रिश्वती नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील चिट मोहर कर कागज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं आरोपी अजय कुमार शर्मा के हस्ताक्षर कराकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन–देन के समय की रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक व परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन–देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 08.30 पी.एम.. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मॉजूदगी में परिवादी श्री राकेश कुमार मीना से प्राप्त शुदा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 17.10.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन–देन संबंधी

आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री राकेश कुमार मीना के मध्य रूबरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को कार्यालय कम्प्यूटर/लेपटोप से कनैक्ट कराकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन–देन वार्ता को टेबिल स्पीकर के सहयोग से सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर किये, उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री राकेश कुमार मीना द्वारा अपनी एवं आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसकिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन–देन वार्ता को कार्यालय कम्पयूटर/लेपटोप की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क A-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया ,उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई । तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन–देन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उक्त एसडी कार्ड को उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क SD अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद समय 11.05 पीएमः–पर आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार मीना से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु रॉयल ईनफील्ड बुलेट मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 02 बीडी 2461 बरंग सलेटी व काला लेकर कलैक्ट्रेट परिसर अलवर आकर परिवादी को उक्त मोटरसाईकिल पर बैठाकर कोष कार्यालय अलवर व सागर के बीच खाली ग्राउण्ड में मोटरसाईकिल को खडी कर उस पर बैठे परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए पकडे जाने से उक्त बुलट मोटरसाईकिल को प्रकरण में वांछित होने के कारण पृथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया, तथा समय समय 11.10 पीएमः– पर आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 17.10.2022 के समय की रिकार्ड वार्तालाप को सरसरी तौर पर सुनाकर उक्त वार्तालाप के कम में अपनी आवाज का नमूना दिये जाने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक द्वारा गवाहान की उपस्थिति में अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इंकार किया एवं लिखित में दिया उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 11.30 पी0एम0:–पर आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) मे गिरफ्तार किया गया एवं जामा तलाशी गवाह श्री हितेश कुमार से लिवाई गई जिसमें आरोपी के पास पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में एक मोबाईल मेक– Xiaomi 11T Pro (IMEI No-863290050055691) बरंग स्लेटी मय फिलीप कवर मिला, जिसमें आरोपी ने दो सिम नं. कमशः 8233488188 (एयरटेल) व 9414366047 (बीएसएनएल) लगी होना तथा उक्त दोनों सिम स्वंय के नाम होना बताया। इसके अतिरिक्त जामा तलाशी में कोई राशि, दस्तावेज इत्यादि नही मिले। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार कार्यालय में उपस्थित आये उसके भाई श्री विजय कुमार शर्मा को दी गई एवं जामा तलाशी में मिले विभागीय परिचय पत्र एवं आधार कार्ड एवं उक्त मोबाईल मय सिम को आरोपी के कहे अनुसार उसके भाई विजय कुमार शर्मा को सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, इसके बाद समय 11.58 पीएमः–आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक, न्याय शाखा, कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को सामान्य चिकित्सालय अलवर से स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु चिकित्सा अधिकारी राजीब गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर के नाम पत्र कमांक 1135/17.10.2022 एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में बन्द हवालात कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना अरावली विहार अलवर के नाम पत्र कमांक 1136/17.10.2022 जारी कर श्री सतीश कुमार कानि0 275, श्री रामजीत सिंह कानि0 206 के जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक महेश कुमार के सामान्य चिकित्सालय अलवर व पुलिस थाना

अरावली विहार अलवर के लिये रवाना किया गया, जो दिनांक 18.10.2022 को समय 01.30 एएम–पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक, को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में बन्द हवालात कराकर मय स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व थाने के रो0 आम की प्रति के लेकर उपस्थित कार्यालय आये, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व रो0 आम प्रति शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 01.40 एएम : पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बजह सबूत को सील्ड मोहर करने के काम में ली गई पीतल की नमूना ब्रांश–शील नम्बर 58 को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही गवाहान के सामने श्री निाहल सिंह कानि0 595 से मौके पर ही तुडवाकर नष्ट करवाया गया जिसकी फर्द नष्टीकरण तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर करवाये गये, इसके बाद समय 03.00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में जब्त/सील्ड शुदा बजह सबूत अजय कुमार हैड कानि0 36 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 09.30 एएम पर श्री रामजीत सिंह कानि0 206 व निहाल सिंह कानि0 595 को जरिये सरकारी वाहन टवेरा गाडी के गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को पुलिस थाना अरावली विहार बन्द हवालात से प्राप्त कर लेकर आने हेतु पुलिस थाना अरावली बिहार अलवर रवाना किया गया, जो गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को पुलिस थाना अरावली बिहार अलवर से प्राप्त कर समय 10.15 एएम पर सुरक्षित लेकर आये जिसे चाय नास्ता कराकर कार्यालय में जाप्ता की निगरानी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 10.30 ए.एमः–पर पाबन्द शुदा श्री उमादत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम प्रभारी न्याय शाखा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर परिवादी राकेश कुमार मीना के भाई श्री महेश कुमार मीना की वैरीफिकेशन से सम्बन्धित रिकार्ड अपने साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया, जिसे कार्यालय में बैठाया गया तथा समय 11.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री राकेश कुमार मीना व आरोपी श्री अजय कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री उमादत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में दौराने कार्यवाही आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक द्वारा न्याय शाखा में से अपनी सीट के उपर पैड में बंधे रखे कागजातों में से परिवादी के भाई महेश कुमार मीणा के वैरीफिकेशन संबंधी दो पत्र **Officer Commanding 749 (I) Tpt PL ASC (Civil GT) Pin Code 905749 C/o 56 APO** के नाम लिखे होकर सलंग्न मूल चरित्र सत्यापन पंजिका, कृते जिला मजिस्ट्रेट अलवर के हस्ताक्षर युक्त बिना डिस्पेच किये हुये पेश शुदा जो गवाह श्री हितेश कुमार को दिलवाकर सुरक्षित रखवाये हुओं को उक्त गवाह श्री हितेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया, उक्त दोनो पत्रों एंवं उनके सलंग्न परिवादी के भाई महेश कुमार मीना के चरित्र सत्यापन सम्बन्धित कागजातों का अवलोकन किया तथा उक्त दस्तावेजों की ट्रैप कार्यवाही में आवश्यकता होने पर उपस्थित आये हुये श्री उमादत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां कर, प्रमाणित कर पेश करने के निर्देश देने पर उमादत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की अलग अलग प्रमाणित फोटो प्रति कमशः पेज 01 से 05 तक एवं पेज 01 से 04 तक पेश की जिन्हें ट्रैप कार्यवाही मे वांछित होने के कारण सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा मूल पत्र मय सलंग्न दस्तावेजों सहित श्री उमादत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी के भाई महेश कुमार मीना के नियमानुसार कार्य हेतु बाद हिदायत सुपुर्द किया गया, तत्पश्चात समय 11.40 ए0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री राकेश कुमार मीना व आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक की मौजूदगी में श्री उमादत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी न्याय शाखा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर ने मांगने पर न्याय शाखा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट अलवर की चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट पंजिका वर्ष 2021–22 एवं चरित्र सत्यापन पत्रावली मूल ही पेश की जिनका अवलोकन किया गया तो चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट पंजिका वर्ष 2021–22 में कम सं. 996 दिनांक 20.09.2022 में कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक अलवर से प्राप्त पुलिस वैरीफिकेश रिपोर्ट कमांक 8108/19.09.2022 श्री महेश कुमार मीणा/शिवलहरी मीणा का नाम अंकित है एवं आगे फाईल हैड नम्बर 1014/29.08.22 अंकित है, तथा चरित्र सत्यापन के लिये पत्र प्राप्ती पंजिका वर्ष 2022 में कम सं. 1014 पर दिनांक 23.08.2022 को पत्र कमांक 1790 प्राप्ती कमांक 74908 दिनांक 08.02.2022 **Officer Commanding 749 (I) Tpt PL ASC (Civil GT) Pin Code 905749 C/o 56 APO,** महेश कुमार मीणा पुत्र शिवलहरी मीणा का नाम तथा आगे लक्ष्मणगढ अंकित है। चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट पंजिका वर्ष 2021–22 एवं चरित्र सत्यापन के लिये पत्र प्राप्ती पंजिका वर्ष 2022 के उपर्युक्त इन्द्राज सम्बन्धित पृष्ठों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उनकी ट्रैप कार्यवाही आवश्यकता होने पर उनकी श्री उमादत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को प्रमाणित फोटो प्रति पेश करने की कहने पर उनके द्वारा उक्त इन्द्राजात पृष्ठों की फोटो प्रमाणित प्रतियां पेश की जिन्हें ट्रैप कार्यवाही मे वांछित होने के कारण सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा मूल चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट पंजिका वर्ष 2021–22

एवं चरित्र सत्यापन के लिये पत्र प्राप्ती पंजिका वर्ष 2022 श्री उमादत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सुरक्षित रखने तथा माननीय न्यायालय या एसीबी द्वारा मूल चाहे जाने पर प्रस्तुत करने की हिदायत के साथ सुपुर्द किया जाकर अपनी जाय तैनाती के लिये रवाना किया गया। इसके बाद समय 12.30 पी.एम.:–पर आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक से पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 01.00 पीएमः– पर आरोपी अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक की बुलेट मोटरसाईकिल नम्बर आरजे–02 बीडी 2461 को प्रकरण मे आवश्यकता नही होने से उसकी सहमति अनुसार उसके भाई श्री विजय कुमार शर्मा को जरिये सुपुर्दगी नामा दुरूस्त हालात मे मय चाबी सुपुर्द किया जाकर कार्यालय से रूकसत किया गया, तथा समय 01.30 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं जाप्ता श्री महेश कुमार कानि0 462, रामजीत सिंह कानि0 206 के जरिये सरकारी वाहन मय चालक महेश कुमार के घटनास्थल कोष कार्यालय अलवर व सागर के बीच के खाली ग्राउण्ड का नक्शा मौका तैयार करने हेतु रवाना होकर समय 01.45 ए.एम. पर घटनास्थल कोष कार्यालय अलवर व सागर के बीच के खाली ग्राउण्ड अलवर पहुॅचा जहा पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के सामने घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के घटनास्थल से रवाना एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय होकर समय 02.50 पीएम पर वापिस एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय आया तथा समय 03.00 पीएमः–पर बाद सम्पन ट्रेप कार्यवाही दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री साहिल गुर्जर कनिष्ठ सहायक व श्री हितेश कुमार कनिष्ठ सहायक जिला परिषद अलवर एवं परिवादी श्री राकेश कुमार मीना को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया तथा वास्ते इमदाद आमदा शुदा ब्यूरो ईकाई अलवर प्रथम के स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, श्री महेश कुमार कानि0 462, श्री हरीश चन्द कानि0 503 को जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय चालक धर्मवीर सिंह के कार्यालय से जाय तैनाती ब्यूरो ईकाई अलवर प्रथम के लिये रवाना किया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को खाना खिलाकर जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में सुरक्षित रखा गया जिसे अकब से वास्ते जे/सी माननीय न्यायालय भ्र0नि0अधिनियम अलवर में पेश किया जावेगा,

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से श्री अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक (न्याय शाखा) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री राकेश कुमार मीना पुत्र श्री शिवलहरी मीना जाति मीना उम्र 26 वर्ष निवासी गांव सेहरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर से उसके भाई श्री महेश कुमार मीना का चयन रक्षा मंत्रालय के अधीन सिविल मोटर ड्राईवर के पद पर होने एवं ज्वाईनिंग हेतु पुलिस वैरीफिकेशन रिपोर्ट कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर की न्याय शाखा से **Officer Commanding 749 (I) Tpt PL ASC (Civil GT) Pin Code 905749 C/o 56 APO,** को भिजवाने की एबज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.10.2022 को पहले 2000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, परिवादी के निवेदन उपरान्त 1800/–रूपये लेने पर सहमत होकर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 17.10.2022 को ही 1800/–रूपये बतौर रिश्वत परिवादी से प्राप्त करते हुये मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफतार किया जाना तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड उसके कब्जे से एवं न्याय शाखा से बरामद होना पाया गया है।

अतः श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री सियाराम शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 40 साल निवासी ए–32 साहब जोहडा शक्ति नगर विजय मंदिर रोड पंजाब नेशनल बैंक के पास अलवर पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर, हाल वरिष्ठ सहायक (न्याय शाखा) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) . में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सियाराम शर्मा, वरिष्ठ सहायक (न्याय शाखा) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 413/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18/10/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3591-95 दिनांक 18.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

18/10/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।